# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रोड़या व मुकाम रोड़या

.....दुर्गा..........बनाम.....माया.....

किस्म मुकदमा...राजस्व आवेदन....मुकदमा नम्बर.....33........../2023

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री.....श्रीराम बिश्नोई.....यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा.....111, 128 RT.....राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..28/2/23.........को पेश हो । | |
| 28/2/23 | अधिवक्तागण हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 03/04/23 को पेश हो। | |
| 3/4/23 | दिनांक 3/4/23 को राजकीय अवकाश होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 18/4/23 को पेश हो। | |
| 18/4/23 | दिनांक 18/4/23 को मंत्रालयिक कर्मचारी हड़ताल में होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/4/23 को पेश हो। | |
| 24/4/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप० नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई | |

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है और तत्संबंधी निर्णय आदेश से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

| प्रार्थी | | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. तगा पुत्र जेमता 2. पाबू पुत्र जेमता<br>3. नागजी पुत्र धर्मा 4. माधा पुत्र धर्मा<br>5. पांचा पुत्र हरलाल जातियान–रबारी, निवासी–बछवाल, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर | बनाम | 1. भावा पुत्र प्रेमा 2. तगा पुत्र प्रेमा 3. हरिया पुत्र प्रेमा<br>4. द्वारका पुत्र प्रेमा 5. पेलाद पुत्र प्रेमा जाति–रबारी, निवासी बच्छवाल, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर<br>6. भारथाराम पुत्र पीरा 7. हुरमी पत्नि पीरा जाति–भील निवासी–बच्छवाल, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर<br>8. तहसीलदार सेड़वा |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।**

राजस्व आवेदन संख्या 33/2023 दिनांक : 24/04/23

**आदेश**

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा बछवाल के खेत खसरा संख्या 301/63 रकबा 3.1404 हैक्टर व खसरा संख्या 300/63 रकबा 3.0756 हैक्टर, खसरा संख्या 298/63 रकबा 3.1404 हैक्टर, खसरा संख्या 63 रकबा 3.1404 हैक्टर, खसरा संख्या 299/63 रकबा 6.2241 हैक्टर कुल रकबा 18.7209 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
o/c सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/702-05 दिनांक 24.04.2023

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी तगा पुत्र जेमता वगैरा।
3. विप्रार्थीगण भवा पुत्र प्रेमा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
o/c

अहकाम जो इस
हुक्म की तामील

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

## राजस्व आवेदन सं. 33/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

तगा बनाम भावा वगैरा

पीठासीन अधिकारी —श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील — श्री श्रीराम विश्नोई

**निर्णय** दिनांक — 24/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा बछवाल के खेत खसरा संख्या 301/63 रकबा 3.1404 हैक्टर व खसरा संख्या 300/63 रकबा 3.0756 हैक्टर, खसरा संख्या 298/63 रकबा 3.1404 हैक्टर, खसरा संख्या 63 रकबा 3.1404 हैक्टर, खसरा संख्या 299/63 रकबा 6.2241 हैक्टर कुल रकबा 18.7209 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हाथला भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा बछवाल के खेत खसरा संख्या 301/63 रकबा 3.1404 हैक्टर व खसरा संख्या 300/63 रकबा 3.0756 हैक्टर, खसरा संख्या 298/63 रकबा 3.1404 हैक्टर, खसरा संख्या 63 रकबा 3.1404 हैक्टर, खसरा संख्या 299/63 रकबा 6.2241 हैक्टर कुल रकबा 18.7209 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा